



361

समक्ष माननीय अध्यक्ष म० प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.निगरानी- / पीबीआर/2017

R 1402-IV-17

1. श्रीमती अयोध्याबाई पत्नी श्री मिश्रीलाल
2. प्रकाश आ० श्री मिश्रीलाल  
दोनो निवासीगण इन्दौर नाका सिहोर  
तहसील एवं जिला सिहोर म०प्र०

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. तहसीलदार ,तहसील सिहोर जिला सिहोर
2. सुदेश राय आ० श्री गेन्दालाल जी राय  
निवासी ग्राम बढियाखेडी तहसील  
एवं जिला सिहोर म०प्र०

.....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान तहसीलदार तहसील सिहोर जिला सिहोर द्वारा प्रकरण क्र० 08/अ-70/14-15 में पारित आदेशिका दिनांक 02/05/2017 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय

*[Handwritten signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/1402/11/17, सीडोर, अयोध्यावाडी/शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

20/12/18

आवेदक की ओर से श्री मेम सिंह ठाकुर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील - सीडोर के प्रकरण क्रमांक 08/3F-70/14-15 में पारित आदेश दिनांक 02/05/17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीडोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सीडोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य